छायाप्रति 2/5/19

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 2216 /XXV– 12(P–7)/2008 देहरादूनः दिनांक 02 मई, 2019.

सेवा में,

1–विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।

2– समस्त अपीलीय अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय
उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील संबंधी पत्र का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री श्याम दत्त जोशी, 135/1, चुक्खुवाला, इंदिरा कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड के सूचना के अधिकार संबंधी प्रथम अपीलीय संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 29–04–2019 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उक्त आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। उक्त सन्दर्भित सूचना उपलब्ध न होने की दशा में सन्दर्भित प्रथम अपील भी आपसे सम्बन्धित है। प्रार्थी के सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 संबंधी वांछित सूचना प्राप्त किये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र को इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1561 दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा आपके कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) द्वारा हस्तान्तरित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार सूचना के अधिकार के अन्तर्गत धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील की सुनवाई/निस्तारण के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 2216 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि श्री श्याम दत्त जोशी, 135/1, चुक्खुवाला, इंदिरा कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

प्राप्त – 30/4/19

पंजीकृत

सेवामें,

श्रीमान अपीलीय अधिकारी,

राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।

विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रार्थी के लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2019 (संलग्न) का संज्ञान लेने का कष्ट करे, जिसमे प्रार्थी द्वारा श्री यशपाल आर्य, वर्तमान विधायक, बाजपुर, विधान सभा क्षेत्र, उधमसिंहनगर से सम्बन्धित पूर्व वर्ती राज्य उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान राज्य उत्तराखण्ड में पंचायत चुनाव तथा विधान सभा चुनाव में अपनी स्वंय की उम्मीदवारी के सम्बन्ध में विभिन्न निर्वाचन अधिकारियो के सम्मुख प्रस्तुत किये गये समस्त निर्वाचन आवेदन पत्रो एवं उनके साथ संलग्न शपथपत्रो एंव समस्त दस्तावेजो की सत्यापित छायाप्रतियों हेतु अनुरोध किया था। प्रार्थी का अवेदन पत्र कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के पत्रांक 1561, दिनांक 29.02.2018, जिसका सम्भवता दिनांक 29.03.2019 होगा, के द्वारा आपको प्रेषित किया गया है जिसे आपके कार्यालय के पत्रांक 519 दिनांक 02.04.2019 द्वारा प्रभारी अधिकारी/लोक सुचना अधिकारी, पंचास्थानी चुनावालय, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल को स्थानान्तरित किया गया है। उक्त कम मे प्रार्थी के आवेदन के एक माह बाद भी लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रार्थी को उनके कार्यालय की सूचनाये उपल्बध नही करायी गयी है, आप अवगत है कि यशपाल आर्य, विधायक बाजपुर, उधमसिंहनगर द्वारा उत्तराखण्ड में वर्तमान समय तक चार विधान सभा चुनाव लडे गये है जिनके सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारियो के सम्मुख प्रस्तुत समस्त अभिलेखो, जो सम्बन्धित

सेवामे,

लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने f

(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 1800 266 6868)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रार्थी को निम्नानुसार सूचनाये उपल करें

1. श्री. यशपाल आर्य, वर्तमान विधायक बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के द्वारा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य में पंचायत चुनाव तथा विधान सभा चुनाव में अपनी स्वयं की उम्मीद्वारी के सम्बन्ध में विभिन्न निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये गये समस्त निर्वाचन आवेदन पत्रो एंव आवेदन पत्रों के साथ संलग्न शपथ-पत्रों एंव निर्वाचन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करवायें

उपरोक्त आवेदन पत्र के साथ सूचनाधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना शुल्क के रूप में रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 46F 363484.... एंव अतिरिक्त शुल्क के रूप में रूपये 500 के पोस्टल ऑर्डर संख्या 52H 733847 to 52H 733852........................ संलग्न है

दिनांक: 19-03-2019

आवेदनकर्ता,

श्याम दत्त जोशी

135/1, चुक्खुवाला, इंदिरा कालोनी, देहरादून, उत्तराखंड

निर्वाचन अधिकारियो के कार्यालय या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत कार्यालय में रक्षित है, जबकि प्रार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु रू0 500 का शुल्क भी अपने आवेदन के साथ सलग्न किया गया था इसके बाद भी सूचना न दिया जाना सूचना अधिकार का उल्लघंन किया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

दिनांक– 29.04.2019

संलग्न उपरोक्तानुसार

प्रार्थी,

(श्याम दत्त जोशी) 29/4/019

निवासी–135/1, चुक्खुवाला, इंदिरा कॉलोनी, देहरादून उत्तराखण्ड।